# अध्याय 3
# अ.जा., अ.ज.जा. और पि.व. के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ

## अध्याय 3
## अ.जा., अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ

यह अध्याय प्री और पोस्ट मैट्रिक अ.जा., अ.ज.जा. और पि.व. छात्रवृत्ति योजना से संबंधित है जिसका डी.बी.टी. कार्यान्वयन के संदर्भ में जाँच की गई थी। लेखापरीक्षा ने 2017-21 (जुलाई 2020 तक) की अवधि के लिए योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर यानी ई-कल्याण से लाभार्थियों की पात्रता, भुगतान गणना और प्राधिकरण आदि पर गहन आईटी डेटा एकत्र और विश्लेषण किया। डेटा विश्लेषण आउटपुट के आधार पर नमूना जाँचित जिलों में विस्तृत परीक्षा के लिए बाहरी कारकों की पहचान की गई थी। तदनुसार, छः नमूना-जाँचित जिलों में 96 प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कूलों/संस्थानों के 2444 छात्रों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने जाँच की। लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए 2444 छात्रों के अभिलेखों में से 822 छात्रों (34 प्रतिशत) के संबंध में विशिष्ट विचलन देखे गए। लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार थे:

- नमूना-जाँचित जि.क.अ. ने समग्र कवरेज, नमूना-जाँच और छात्रों की प्रगति की निगरानी के लिए संभावित पात्र छात्रों का कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस नहीं रखा था।
- पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय और वास्तव में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या में औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि करके तदर्थ आधार पर बजट तैयार किया गया था।
- 2017-18 की अवधि के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (सीजीजी) को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान किया गया था, जो विस्तारित परियोजना अवधि के अंतर्गत आता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.91 लाख के उपयोगकर्ता शुल्क का अनुचित भुगतान कल्याण विभाग द्वारा सीजीजी को किया गया.
- लेखापरीक्षा ने पाया कि 'ई-पास' आवेदन का स्थानांतरण मई 2022 तक नहीं किया गया था, हालाँकि अंतर-विभागीय समिति की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था (जून 2015) कि 'ई-पास' छात्रवृत्ति पोर्टल को एनईएसपी में जून 2016 तक स्थानांतरित किया जाना था परिणामस्वरूप, उपयोगकर्ता शुल्क पर ₹ 4.36 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।
- आयकर और माल एवं सेवा कर पर टीडीएस के प्रावधानों के उल्लंघन में, भुगतान बिलों से ₹ 27.76 लाख के स्रोत पर करों की कटौती नहीं की गई थी जो संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों को पूरा करने में विफलता को इंगित करता है जो दंड को आकर्षित करता है।

- नमूना जाँचित जिलों के 21 विद्यालयों/संस्थानों में 81 फर्जी/क्षद्म लाभार्थियों को ₹ 5.20 लाख की प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरित की गई जबकि ये लाभार्थी संबंधित विद्यालयों/संस्थानों के अभिलेखों में नामांकित नहीं पाए गए।
- पिछली परीक्षा में क्रमशः न्यूनतम 45 प्रतिशत और 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के पात्रता मानदंड के उल्लंघन में 313 पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को ₹ 19.85 लाख की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरित की गई। इसी प्रकार, 52 पिछड़ा वर्ग छात्रों को ₹ 2.94 लाख की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिनके माता-पिता/ अभिभावक की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी।
- संस्थानों/पाठ्यक्रमों के गलत वर्गीकरण के कारण 195 लाभार्थियों को उच्च दरों की अनुमति दी गई, जिसके कारण उन्हें ₹ 5.74 लाख की छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान किया गया।
- उत्तीर्ण हुए 121 छात्रों को लगातार दो वर्षों में अनियमित रूप से एक ही कक्षा के लिए ₹ 2.01 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- निर्धारित मानदंडों से परे 527 लाभार्थियों द्वारा उन्हीं संस्थानों से पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के अलावा ₹ 26.28 लाख की पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति का लाभ भी उठाया गया।
- जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया लेकिन इसका कार्य मुख्य रूप से संस्थानों और छात्रवृत्ति के अनुमोदन तक ही सीमित रहा।

**निष्कर्ष:**

राज्य में योजना के कार्यान्वयन में कमियां थी। जि.क.अ. द्वारा पात्र छात्रों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस छात्रों की प्रगति की नमूना-जाँच और निगरानी तथा उनकी समग्र कवरेज के लिए तैयार नहीं किया गया था। पिछले वर्ष के लाभार्थियों के उपर किये गए वास्तविक व्यय/संख्यामें 10 प्रतिशत की वृद्धि करके तदर्थ आधार पर बजट और आच्छादित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या तैयार की गई थी। योजना दिशा-निर्देशों के मानदंडों का पालन न करने और ई-कल्याण योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर (जैसा कि अध्याय-6 में उल्लिखित है) में कमी के कारण फर्जी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण, अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति, छात्रवृत्ति की अधिक प्रतिपूर्ति, विद्यालय छोड़ चुके छात्रों को छात्रवृत्तियों का भुगतान, बहु योजनाओं से छात्रवृत्तियों का संवितरण आदि देखे गए थे। योजना के अनुश्रवण का अभाव था क्योंकि जिला स्तरीय समिति की भूमिका संस्थानों एवं छात्रवृत्ति के अनुमोदन तक ही सीमित थी। योजनाओं के उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए योजना का प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया था।

## *3.1 पृष्ठभूमि*

छात्रवृत्ति योजनाएँ नामांकन बढ़ाने और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के छात्रों के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण उपाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। अ.जा., अ.ज.जा. और पि.व. छात्रों के लिए प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना उपरोक्त श्रेणियों के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सरकार का हस्तक्षेप है। इसका उद्देश्य उन श्रेणियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो प्री और पोस्ट मैट्रिक स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें शिक्षा के पोस्ट-मैट्रिक चरण में प्रगति के बेहतर अवसर के साथ अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाना हैं। राज्य सरकार इन योजनाओं को भारत सरकार के आंशिक/पूर्ण वित्तीय सहयोग से कार्यान्वित कर रही है।

कल्याण विभाग ने पोस्ट मैट्रिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदनों के प्रसंस्करण और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल 'ई-कल्याण' शुरू किया (जनवरी 2015)।

## *3.2 पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और स्वीकृति*

प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत सभी सरकारी/परियोजना/सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों/अल्पसंख्यक स्कूलों के छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इसी प्रकार, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों/ शैक्षिक संस्थानों के छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। राज्य सरकार ने मैट्रिक के बाद के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदनों को संसाधित करने और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति राशि के डी.बी.टी. हस्तांतरण के लिए एक ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल 'ई-कल्याण' शुरू किया (जनवरी 2015)।

अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ी जाति के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और छात्रवृत्ति की मंजूरी की प्रक्रिया **तालिका 3.1** में दी गई है:

**तालिका: 3.1 अ.जा./अ.ज.जा./ पिछड़ी जाति के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्रता मानदंड और मंजूरी की प्रक्रिया**

| छात्रवृत्ति योजना | मुख्य पात्रता मानदंड | जिम्मेवारी का स्तर | आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया |
|---|---|---|---|
| प्री-मैट्रिक अ. जा./अ.ज.जा./ पि.व. (वर्ग एक से दस) | • छात्रों को सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित/पूर्णकालिक अध्ययनरत होना चाहिए<br>• एक कक्षा में केवल | विद्यालय | • पात्र छात्रों की सूची संबंधित विद्यालयों द्वारा तैयार की जाएगी।<br>• संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यों को पात्र छात्रों की सूची प्रखंड स्तरीय अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी। |

| छात्रवृत्ति योजना | मुख्य पात्रता मानदंड | जिम्मेवारी का स्तर | आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया |
|---|---|---|---|
| | एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति की अनुमति दी जाएगी | जिला | • जिला शिक्षा अधिकारी अंतिम सत्यापन के बाद सूची जिला कल्याण अधिकारी को स्वीकृति के लिए भेजेंगे।<br>• उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति भुगतान करने के लिए सूची का अनुमोदन करती है। |
| पोस्ट मैट्रिक अ.जा. / अ.ज.जा. / पि.व. (कक्षा XI और उसके आगे) | • अ.ज./अ.ज.जा. के लिए माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि पि.व. श्रेणी के लिए यह सीमा 2018-19 तक ₹ 1.00 लाख और 2019-20 से ₹ 1.5 लाख थी।<br>• एक कक्षा में केवल एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति की अनुमति दी जाएगी<br>• छात्रों को अ.जा./अ. ज.जा. के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों और पि.व. के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ पिछली कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए | छात्र | • छात्रों को ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना होगा और आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। |
| | | संस्थान | • संस्थान के नोडल अधिकारी (आईएनओ) को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों द्वारा आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।<br>• आईएनओ आवेदन पर दर्ज किए गए विवरणों को उपलब्ध अभिलेख के साथ सत्यापित करने के बाद आवेदनों को स्वीकृत करेगा और उसके बाद इसे जि.क.अ. को अग्रेषित करेगा। |
| | | जिला | • जि.क.अ. छात्रवृत्ति की मंजूरी से पहले वेबसाइट "jharsewa.jharkhand.gov.in" से अपलोड किए गए दस्तावेजों (आय/जाति/आवास प्रमाण पत्र) के सत्यापन के लिए जिम्मेवार होगा।<br>• जि.क.अ. को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ लाभार्थी की आधार सीडिंग और छात्रों के बैंक खातों की मैपिंग सुनिश्चित करना है।<br>• उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति भुगतान करने के लिए अंतिम सूची का अनुमोदन करती है। |

### *3.2.1 लागू छात्रवृत्ति दरें*

अ.जा./अ.ज.जा./पि.व. के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रवृति की राशि प्री मैट्रिक छात्रवृति के लिए छात्र जिस कक्षा में अध्ययन कर रहा हो एवं छात्र कि स्थिति (डे स्कॉलर या हॉस्टलर) के आधार पर निर्धारित है जबकि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्थान के

स्वामित्व श्रेणी (भारत सरकार / राज्य और निजी) और पाठ्यक्रमों के स्लैब के आधार पर ***(परिशिष्ट-3.1)*** में दी गई है।

## *3.3 संगठनात्मक संरचना*

राज्य स्तर पर सचिव की अध्यक्षता में अ.ज.जा., अ.जा., अल्पसंख्यक और पि.व. कल्याण विभाग योजनाओं के कार्यान्वयन के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य करता है। जिला और क्षेत्र स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला कल्याण अधिकारी (जि.क.अ.) जिम्मेवार हैं। विभाग के संगठनात्मक ढाँचे को नीचे **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है:

**चार्ट 3.1: अ.ज.जा., अ.जा., अल्पसंख्यक और पि.व. कल्याण विभाग का संगठनात्मक विवरण:**

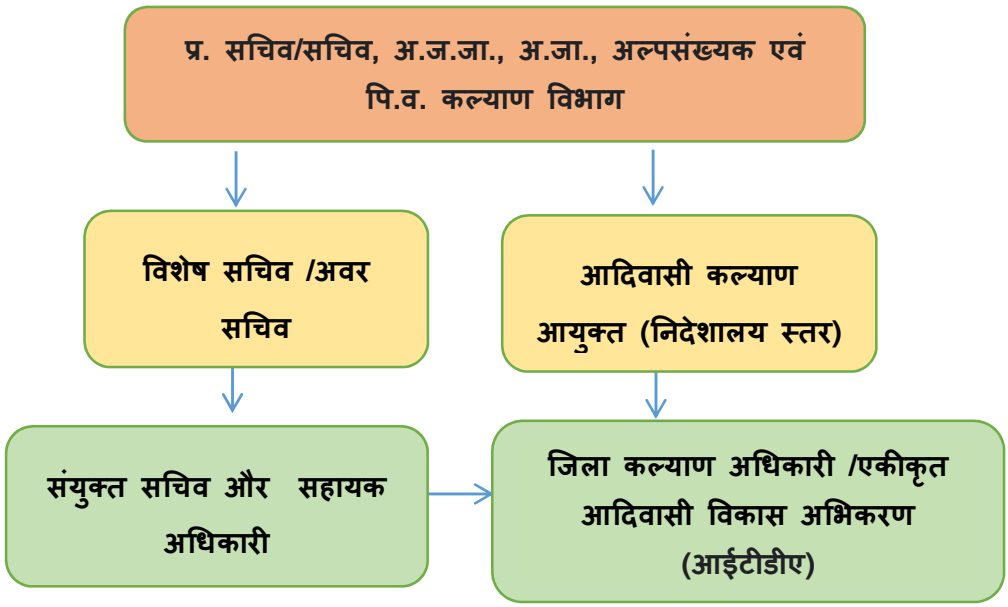


## *3.4 लाभार्थियों का डेटाबेस*

योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभाग को राज्य में प्रत्येक श्रेणी के तहत संभावित पात्र छात्रों से अवगत होना है। कल्याण विभाग, झा.स. के निर्देश (नवंबर 2006) के अनुसार, जि.क.अ. को योग्य छात्रों की सभी सूचनाओं को शामिल करते हुए पात्र छात्रों का एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार करना था। इस डेटाबेस का उपयोग छात्रों की नमूना जाँच, प्रगति की निगरानी और जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जाँचित जि.क.अ. ने समग्र कवरेज के लिए संभावित पात्र छात्रों का कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस नहीं बनाया था। ऐसे डाटाबेस के अभाव में जि.क.अ./विभाग लाभार्थियों का विद्यार्थियों के डाटाबेस से क्रॉस जाँच करने, विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करने और उनकी वास्तविक कवरेज के जाँच करने में असमर्थ थे।

***अनुशंसा:***

***सार्वभौमिक कवरेज और यथार्थवादी बजट तैयार करने के लिए राज्य में सभी पात्र लाभार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस रखने की कार्यवाई की जानी चाहिए।***

## *3.5 वित्तीय प्रबंधन*

योजना के लिए वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा निर्धारित अनुपात में वहन किया जाता है जैसा कि **तालिका-3.2** में चर्चा की गई है:

**तालिका-3.2: छात्रवृत्ति योजनाओं की वित्त पोषण पद्धति**

| छात्रवृति योजना | केन्द्रांश | राज्यांश |
|---|---|---|
| प्री मैट्रिक अ.जा. | - | कक्षा I से VIII के लिए प्रतिशत 100 |
| | कक्षा IX और X -100 प्रतिशत (2017-18 और 2018-19);<br>60 प्रतिशत (2019-20 से)। | -<br><br>40 प्रतिशत (2019-20 से) |
| पोस्ट मैट्रिक अ.जा. | 100 प्रतिशत | - |
| प्री मैट्रिक अ.ज.जा. | - | कक्षा I से VIII के लिए प्रतिशत 100 |
| | कक्षा IX और X के लिए:<br>75 प्रतिशत (2017-21); | कक्षा IX और X के लिए:<br>25 प्रतिशत (2017-21); |
| पोस्ट मैट्रिक अ.ज.जा. | 75 प्रतिशत | 25 प्रतिशत |
| प्री मैट्रिक पि.व. | 50 प्रतिशत | 50 प्रतिशत |

2017-21 की अवधि के लिए छात्रवृत्ति के बजट प्रस्तावों की जाँच से पता चला कि बजट पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय और वास्तव में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या में औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि करके तदर्थ आधार पर तैयार किया गया था, हालाँकि इसे वास्तविक आवश्यकता के आधार पर सभी स्रोतों से प्राप्त मांग के आधार पर तैयार किया जाना था।

वर्ष 2017-21 के दौरान राज्य स्तरीय बजट प्रावधान, आवंटन एवं व्यय **तालिका 3.3** में दिया गया है:

**तालिका 3.3: 2017-21 के दौरान बजट आवंटन और व्यय (प्री और पोस्ट मैट्रिक)**

***(₹ करोड़ में)***

| वर्ष | कुल परिव्यय | कुल मंजूरी | आवंटन/ विमुक्त | व्यय | बचत | बचत प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 597.92 | 526.82 | 71.10 | 12 |
| 2018-19 | 662.56 | 662.53 | 662.53 | 533.75 | 128.78 | 19 |
| 2019-20 | 662.23 | 636.09 | 636.09 | 533.42 | 102.67 | 16 |
| 2020-21 | 700.57 | 613.65 | 575.35 | 450.96 | 124.39 | 22 |
| **कुल** | **2025.36** | **1912.27** | **2471.89** | **2044.95** | **426.94** | **17** |

***(स्रोतः अ.ज.जा., अ.जा., अल्पसंख्यक और पि.व. कल्याण विभाग, झा.स.)***

जैसा कि **तालिका 3.3** से देखा जा सकता है कि बचत 2017-18 में 12 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 22 प्रतिशत हो गई, इस तथ्य के बावजूद कि 2020-21 के दौरान आवंटन कुल परिव्यय से 18 प्रतिशत कम था।

आगे, छः नमूना जाँच किए गए जिलों में वर्ष 2017-21 के दौरान ₹ 1060.15 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध निधि की बचत सात से 70 प्रतिशत थी जैसा कि **तालिका 3.4** में देखा जा सकता है।

**तालिका 3.4: नमूना जाँचित जिलों में छात्रवृति निधि के उपयोग का विवरण**

***(₹ करोड़ में)***

| जिला | अवधि | आवंटन | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| चतरा | 2017-21 | 85.69 | 25.81 | 59.88 | 69.88 |
| पूर्वी सिंहभूम | 2017-21 | 118.02 | 98.33 | 19.69 | 16.68 |
| गोड्डा | 2017-21 | 88.33 | 75.62 | 12.71 | 14.39 |
| हजारीबाग | 2017-21 | 156.38 | 133.51 | 22.87 | 14.62 |
| पलामू | 2017-21 | 114.74 | 97.80 | 16.94 | 14.76 |
| राँची | 2017-21 | 496.99 | 462.93 | 34.06 | 6.85 |
| | **कुल** | **1060.15** | **894.00** | **166.15** | |

बचत का कारण जि.क.अ. द्वारा निधि का कम उपयोग करना था और मुख्य रूप से अवास्तविक बजट तैयार करना था क्योंकि विभाग वास्तविक आवश्यकता के बारे में अनभिज्ञ था।

## *3.6 योजना विशिष्ट सॉफ्टवेयर (ई-कल्याण) में वित्तीय अनियमितताएं*

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (इ.सू.प्रौ,वि.), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सं.सू.प्रौ.म.), भारत सरकार (भा.स.) ने झारखण्ड राज्य में 'ई-कल्याण' पोर्टल ई-पास (छात्रवृत्ति के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और आवेदन प्रणाली)

के रैपिड रिप्लिकेसन रोलआउट[13] (आरआरआर)" परियोजना के तहत जनवरी 2015 में सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (सी.जी.जी.)[14], हैदराबाद के द्वारा लागू किया गया। आर.आर.आर. परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से "सार्वजनिक सेवाओं की भारत ई-डिलीवरी डीपीएल परियोजना" के तहत वित्त पोषित किया गया था। आर.आर.आर. परियोजना ₹ 2.85 करोड़[15] की कुल अनुमानित लागत पर इ.सू.प्रौ,वि., सं.सू.प्रौ.म., भा.स. द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित (दिसंबर 2013) थी और इस उद्देश्य के लिए इ.सू.प्रौ,वि., भा.स. द्वारा सी.जी.जी. को ₹ 1.00 करोड़ जारी किए गए थे (जनवरी 2014)। इ.सू.प्रौ,वि., भा.स. और सी.जी.जी. के बीच अनुबंध (अक्टूबर 2014) के अनुसार परियोजना को 30 महीने[16] (मार्च 2017) की अवधि के भीतर पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था जिसे परियोजना समीक्षा और संचालन समूह (पी.आर.एस.जी.)[17], भा.स. के अनुशंसा पर (जनवरी 2018) आगे 31 मार्च 2018 तक बढ़ाया गया था। ई-पास आवेदन को हैदराबाद स्थित सी.जी.जी. के डाटा सेंटर में होस्ट किया जाना था।

आईटी प्लेटफॉर्म का एक सिस्टम ऑडिट अर्थात् ई-कल्याण प्लेटफार्म, "अ.जा., अ.ज.जा. और पि.व. श्रेणी के छात्रों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं" के पात्र लाभार्थियों को डी.बी.टी. अंतरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे, का संचालन किया गया।

कल्याण विभाग द्वारा ई-कल्याण के क्रियान्वयन के अभिलेखों की जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

---

13 देश में ऑनलाइन ई-गवर्नेंस लेनदेन के विकास को बढ़ाने के लिए "त्वरित प्रतिकृति रोल-आउट पहल" की अवधारणा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) की दृष्टि से की गई थी। "रैपिड रेप्लीकेशन रोल-आउट इनिशिएटिव" एक अनूठी पहल है जिसके तहत एक राज्य के एप्लीकेशन को दूसरे राज्यों में दोहराया जाएगा। ई-पास एप्लिकेशन, जिसे तेलंगाना राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया है और रैपिड प्रतिकृति रोलआउट के हिस्से के रूप में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और झारखण्ड राज्यों में लागू किया जा रहा है।

14 सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (CGG) की स्थापना अक्टूबर, 2001 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार (GoAP) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID) और विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी ताकि इसे राज्य के परिवर्तनकारी शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। सीजीजी सरकारी विभागों और एजेंसियों के सुधार एजेंडे के सफल कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए कार्रवाई अनुसंधान करता है, पेशेवर सलाह प्रदान करता है और परिवर्तन प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित करता है।

15 ई-पास आवेदन का अनुकूलन: ₹ 95.13 लाख; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: ₹ 4.75 लाख; संचालन और रखरखाव (दो साल के लिए): ₹ 52.64 लाख; यात्रा खर्च: ₹ 10.00 लाख; होस्टिंग/स्टोरेज/कनेक्टिविटी शुल्क (दो साल के लिए): ₹ 11.24 लाख; परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू): ₹ 97.76 लाख; और आकस्मिकता: ₹ 13.58 लाख

16 ई-पास के अनुकूलन के लिए पहले छः महीने और संचालन और रखरखाव के लिए 24 महीने

17 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में विश्व बैंक की सहायता से "भारत: सार्वजनिक सेवाओं की ई-डिलीवरी डीपीएल परियोजना" के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए गठित

### 3.6.1 उपयोगकर्ता शुल्क का अनियमित भुगतान

इ.सू.प्रौ,वि., भा.स. और सी.जी.जी. के बीच अनुबंध के अनुसार, परियोजना को 31 मार्च 2017 तक पूरा किया जाना था। कार्यान्वयन एजेंसी (सी.जी.जी.) द्वारा सूचित किए जाने पर (जनवरी 2018) कि परियोजना संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) चरण में थी और ₹ 1.85 करोड़ की शेष निधि जारी करने के अभाव में कुछ परियोजना गतिविधियों को पूरा किया जाना बाकी था, अनुबंध को पी.आर.एस.जी. की अनुशंसा (जनवरी 2018) के आधार पर शेष गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए और आवश्यक दस्तावेज (प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट, समेकित अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि) को 31 मार्च 2018 तक जमा करने के लिए 31 मार्च 2018 तक के लिए विस्तृत किया गया था। शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए ई-कल्याण को जारी रखने के लिए सी.जी.जी. द्वारा प्रस्तुत तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव (अप्रैल 2017) पर झारखण्ड कैबिनेट द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति (अगस्त 2019) दी गई थी और 2017-18 के प्री मैट्रिक छात्रवृति के 26,33,489 आवेदनों के (@ ₹ 3.00 प्रति आवेदन) और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 3,38,139 आवेदन (@ ₹ 5.00 प्रति आवेदन) को प्रसंस्करण के लिए भुगतान के लिए मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017-19 की अवधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (सी.जी.जी.) को ₹ 2.29 करोड़ (सुरक्षा लेखापरीक्षा सहित) के प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान किया गया था जिसमें विस्तारित अवधि 2017-18 भी शामिल थी। इसके परिणामस्वरूप कल्याण विभाग द्वारा सी.जी.जी. को 2017-18 के लिए कम से कम ₹ 95.91 लाख के उपयोगकर्ता शुल्क का अनियमित भुगतान हुआ।

### 3.6.2 परिहार्य भुगतान

नेशनल इ-स्कॉलरशिप पोर्टल (एन.ई.एस.पी.), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एम.एम.पी.) है जिसका लक्ष्य देश भर में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पुरे देश में शुरू की गई विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करने के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल प्रदान करना है, जहां एक छतरी के नीचे विभिन्न राज्यों के छात्रवृत्तियों के आवेदनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति के सभी पोर्टलों को एन.ई.एस.पी. के साथ एकीकृत किए जाते हैं। चूँकि प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं और राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, भारत सरकार ने निर्देश दिया (जुलाई 2015) कि उनके पूर्ण कार्यात्मक ई-छात्रवृत्ति पोर्टल वाले राज्यों को एन.ई.एस.पी. के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है और वैसे राज्यों जिनके के पास कोई पोर्टल नहीं है या आंशिक रूप कार्यात्मक पोर्टल है, को एन.ई.एस.पी. में ऑन-बोर्ड आने की आवश्यकता हो सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मई 2022 तक 'ई-पास' आवेदन का स्थानांतरण नहीं किया गया था, हालाँकि अंतर-विभागीय समिति की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था (जून 2015) कि 'ई-पास' छात्रवृत्ति आवेदन को एन.ई.एस.पी. में जून 2016 तक स्थानांतरित किया जाना था। परिणामस्वरूप, वित्त विभाग, झा.स. की सिफारिश पर झारखण्ड कैबिनेट द्वारा नामांकन के आधार पर चयनित होने के बाद छात्रवृत्ति आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए 2017-21 की अवधि के दौरान सी.जी.जी. को ₹ 4.36 करोड़ के उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान किया गया था।

### *3.6.3 झारखण्ड में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का काम न करना*

अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव के प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड में परियोजना प्रबंधन इकाई[18] (पीएमयू) की स्थापना की जानी थी जिसके लिए ₹ 2.85 करोड़ की कुल परियोजना लागत के विरूद्ध ₹ 97.76 लाख चिन्हित किए गए थे जिसे स्वीकृत प्रस्ताव के नियम एवं शर्तों के अनुसार मैसर्स सी.जी.जी. द्वारा झारखण्ड को अंतरित करनी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमयू की स्थापना के लिए जिम्मेवार राज्य सरकार की तकनीकी एजेंसी जेएपी-आईटी को केवल ₹ 34.22 लाख हस्तांतरित (अगस्त 2014) किए गए थे और स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए सी.जी.जी. द्वारा ₹ 63.54 लाख रोके गए थे तथा जेएपी-आईटी द्वारा कल्याण विभाग और सी.जी.जी. को जारी किए गए कई अनुस्मारक (दिसंबर 2016 और अक्टूबर 2017 के बीच) के बावजूद प्रदान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, अपर्याप्त निधि के कारण 1 नवंबर 2017 से ई-पास पीएमयू की सेवाएँ बंद हो गईं। सी.जी.जी. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेएपी-आईटी को, कल्याण विभाग का तकनीकी सहायता और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक एजेंसी होने के नाते, पूरे लूप में रखा जाना चाहिए ताकि जेएपी-आईटी ई-पास आवेदन में किए गए सभी विकासों से अवगत हो सके। इस प्रकार, जेएपी-आईटी द्वारा परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न हुई। कल्याण विभाग से सी.जी.जी. द्वारा पीएमयू के लिए निर्धारित ₹ 63.54 लाख की शेष राशि को स्थानांतरित नहीं करने का कारण पूछा गया था लेकिन विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित (अक्टूबर 2022) है।

### *3.6.4 एजेंसी को भुगतान से स्रोत पर करों की कटौती न करना*

प्रावधानों के अनुसार (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 जे के तहत), तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के संबंध में स्रोत पर कर ऐसी शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से काटा जाना है। इसके अलावा, योजना-सह-वित्त विभाग, झा.स. के निर्देशों के अनुसार, सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को सभी भुगतान

[18] पीएमयू स्थानीय रूप से परियोजना के प्रबंधन और प्रशासन, निगरानी और मूल्यांकन और परियोजना पर रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार था।

(₹ 2.50 लाख से अधिक मूल्य) पर माल और सेवा कर (जीएसटी) पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस काटने का निर्देश दिया गया है (दिसंबर 2018)।

एजेंसी को उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान से संबंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 2017-20 के दौरान आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क और सुरक्षा ऑडिट शुल्क के लिए एजेंसी (मैसर्स सी.जी.जी., हैदराबाद) को कुल ₹ 3.39 करोड़ का भुगतान किया गया था। आयकर अधिनियम के प्रावधानों और झा.स. के निर्देशों के अनुसार, ₹ 34.56 लाख का स्रोत पर कर (आयकर पर टीडीएस: ₹ 28.80 लाख यानी मूल बिल राशि (₹ 2.88 करोड़) का 10 प्रतिशत और जीएसटी: ₹ 5.76 लाख यानी, मूल बिल राशि का दो प्रतिशत) डीडीओ द्वारा एजेंसी के बिलों से काटा जाना आवश्यक था, लेकिन लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल ₹ 6.78 लाख (अर्थात् ₹ 3.39 करोड़ की सकल बिल राशि का दो प्रतिशत) की कटौती की गई थी। इस प्रकार, एजेंसी को किए गए भुगतानों से ₹ 27.76 लाख टीडीएस की कम कटौती हुई। विभाग से एजेंसी को भुगतान से टीडीएस कम काटने का कारण पूछा गया था, लेकिन जवाब नहीं दिया गया (अक्टूबर 2022)।

## *3.7 लेखापरीक्षा आच्छादन*

लाभार्थियों के पात्रता, भुगतान गणना और प्राधिकरण आदि का गहन आई.टी. डाटा 2017-21 (जुलाई 2020 तक का) अवधि का योजना प्रबंधन सोफ्टवेयर ई-कल्याण झारखण्ड से प्राप्त किया गया और विश्लेषण किया गया। बाहरी कारकों के आधार पर नमूना जाँच किये गये छः जिलों के 96 प्री एवं पोस्ट मैट्रिक विद्यालयों/संस्थानों ***(परिशिष्ट-3.2)*** के 2444 विद्यार्थियों के अभिलेखों की जाँच की गयी, जिसमें 822 मामलों में विचलन (34 प्रतिशत) के प्रकरण पाये गये।

## *3.8 कार्यान्वयन*

अ.ज.जा., अ.जा., अल्पसंख्यक एवं पि.व. कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (फरवरी 2018) के अनुसार:

- छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व, सभी स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को लाभार्थियों की पात्रता की पूर्ति को सत्यापित करना था,
- सुनिश्चित करें कि पोस्ट मैट्रिक मामलों में छात्रों द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र ठीक से भरे गए हैं,
- आय/जाति प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी), शुल्क का विवरण (संबंधित संस्थान द्वारा सत्यापित), छात्र का मोबाइल नंबर, संबंधित संस्थान/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की संबद्धता आदि जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं।

इसके अलावा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के संबंध में सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 87 में यह भी कहा गया है कि आईसीटी का उपयोग करके विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लाभ का हस्तांतरण सीधे लाभार्थियों को किया

जाना चाहिए। सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए चोरी और दोहराव को कम करने के उद्देश्य से मध्यस्थ स्तरों को कम करने और इच्छित लाभार्थियों को भुगतान में देरी को कम करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पुनर्रचना की जानी चाहिए।

नमूना जाँचित छः जिलों के 96 प्री एवं पोस्ट मैट्रिक संस्थान/विधालय स्तर पर अभिलेखों की जाँच के दौरान छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन में छद्म/फर्जी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण, बहु भुगतान, अधिक भुगतान, अस्वीकार्य भुगतान आदि के उदाहरण लेखापरीक्षा द्वारा योजनाओं का अवलोकन में पाया गया, जैसा कि आगामी अनुच्छेद में चर्चा की गई है:

### *3.8.1 छदम/फर्जी लाभार्थियों को छात्रवृति का वितरण*

कल्याण विभाग द्वारा जारी (2006) आदेशों में निहित निर्देशों के अनुसार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामले में पात्र छात्रों की सूची आगे जमा करने के लिए विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/ प्राचार्यों द्वारा तैयार की जानी थी। अ.जा./ अ. ज.जा./ पि.व. श्रेणी प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम 2018 के अनुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छात्रों को ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आईएनओ, छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश करने से पहले उपलब्ध अभिलेख के साथ पोस्ट मैट्रिक आवेदनों के अपलोड किए गए दस्तावेजों की जाँच करने के लिए जिम्मेदार थे। आगे, राज्य सरकार के आदेश (2019) के अनुसार, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामले में, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को लाभार्थियों की सूची पर एक प्रमाण पत्र अंकित करना होगा कि सभी पात्र छात्रों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं और किसी अपात्र छात्र का नाम शामिल नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो नमूना जाँचित जिलों (चतरा एवं गोड्डा) के अंतर्गत आठ विद्यालयों में ₹ 0.53 लाख की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 39 लाभार्थियों को वितरित की गई थी ***(परिशिष्ट-3.3)*** और चार[19] नमूना-जाँचित जिलों के अंतर्गत 13 संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक 42 लाभार्थियों को, जो छद्म/फर्जी पाए गए थे, को ₹ 4.67 लाख की छात्रवृत्तियां वितरित की गईं ***(परिशिष्ट-3.4)***, क्योंकि ये लाभार्थी संबंधित विद्यालयों/ संस्थानों के अभिलेखों में नामांकित नहीं पाए गए थे।

यह बताये जाने पर संबंधित विद्यालयों/संस्थानों के प्रधानाध्यापकों/ प्राचार्यों ने तथ्यों को स्वीकार किया। यह इंगित करता है कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के पात्र छात्रों की सूची तैयार करते समय उचित ध्यान नहीं दिया और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामले में आवेदकों के दस्तावेजों के उचित सत्यापन/ जाँच के बिना प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ आईएनओ/ जि.क.अ. द्वारा सिफारिश की गई थी।

[19] चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू एवं राँची

### *3.8.2 लाभार्थियों की पात्रता मानदंड की पुष्टि किए बिना छात्रवृत्ति का वितरण*

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प (फरवरी 2018) के प्रावधानों के अनुसार, सभी योजनाओं के लिए शैक्षणिक वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पिछली परीक्षा में न्यूनतम अंक (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 40 प्रतिशत अंक और पि.व. के लिए 45 प्रतिशत) का मानदंड था। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी स्रोतों से माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा का पालन किया जाना था जैसा कि **कंडिका 3.2** में चर्चा की गई है।

हालाँकि, आईएनओ द्वारा उपलब्ध अभिलेख के साथ आवेदनों/अपलोड किए गए दस्तावेजों के अनुचित सत्यापन के कारण लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित त्रुटियों को पाया:

2017-21 की अवधि के लिए ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला, कि राज्य स्तर पर 1097 पोस्ट मैट्रिक संस्थानों (राज्य के भीतर: 880 और राज्य के बाहर: 217) में पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम करने वाले पि.व. श्रेणी के 12,983 छात्रों को 2017-20 के दौरान ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से ₹ 10.23 करोड़ की छात्रवृत्ति, इस तथ्य के बावजूद प्रदान किया गया, कि पिछली परीक्षा में इन छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत निर्धारित 45 प्रतिशत से कम था। इसी प्रकार छः नमूना जाँच जिलों में 419 संस्थानों में निर्धारित 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले 7330 बीसी लाभार्थियों को वर्ष 2017-21 के दौरान ₹ 5.55 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

लेखापरीक्षा ने छः नमूना-जाँच किए गए जिलों में 419 संस्थानों के 7330 पि.व. के लाभार्थियों में से 41 संस्थानों में 408 छात्रों के मामलों की जाँच की और देखा कि ₹ 13.21 लाख की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति 217 पि.व. श्रेणी के छात्रों को पिछली परीक्षा में 45 प्रतिशत न्यूनतम अंक हासिल करने की पात्रता मानदंड के उल्लंघन में वितरित की गई थी ***(परिशिष्ट-3.5)***।

2017-21 की अवधि के लिए ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि राज्य स्तर पर 675 पोस्ट मैट्रिक संस्थानों (राज्य के भीतर: 568 और राज्य के बाहर: 107) में पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5283 छात्रों को ₹ 5.18 करोड़ की छात्रवृत्ति ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से 2017-20 के दौरान इस तथ्य के बावजूद प्रदान किया गया, कि पिछली परीक्षा में इन छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक निर्धारित 40 प्रतिशत से कम थे। आगे, छः नमूना जाँचित जिलों में 2017-21 के दौरान 274 संस्थानों में निर्धारित 40 प्रतिशत से कम अंक वाले 2666 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को ₹ 2.91 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जैसा कि ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला है।

लेखापरीक्षा ने 274 संस्थानों के 2666 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों में से 23 संस्थानों में 250 छात्रों के मामलों की जाँच की और पाया कि ₹ 6.64 लाख की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति नमूना जाँचित पाँच जिलों[20] के 96 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को संवितरित की गई थी, हालाँकि उन्हें पिछली परीक्षाओं में निर्धारित 40 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं हुई थी ***(परिशिष्ट-3.6)***।

अनुचित मैपिंग और 'ई-कल्याण' एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में प्रभावी नियंत्रण की कमी के कारण पि.व./अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के आवेदनों के अनुमोदन को आवश्यकता से कम अंक प्राप्त होने के बावजूद रोका नहीं जा सका जैसा कि **कंडिका 6.12.3** में शामिल किया गया है।

राज्य स्तर पर 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि राज्य में 131 संस्थानों से संबंधित पि.व. श्रेणी के 478 छात्रों ***(परिशिष्ट-3.7)*** के मामले में 2018-19 के दौरान ₹ 36.33 लाख की छात्रवृत्ति इस तथ्य के बावजूद प्रदान की गई थी, कि डेटाबेस में दर्ज वार्षिक पारिवारिक आय के आँकड़े ₹ 1.00 लाख की निर्धारित सीमा से अधिक थे, लेकिन एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर ने आवेदक को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से नहीं रोका यद्धपि उनकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक थी। आगे, छः नमूना जाँचित जिलों में 63 संस्थानों में 250 पि.व. के लाभार्थियों को 2017-21 के दौरान ₹ 21.28 लाख की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने छः नमूना-जांचित जिलों (पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर) के 63 संस्थानों में 250 पि.व. के लाभार्थियों में से 22 संस्थानों में 59 छात्रों के मामलों की जाँच की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुचित मैपिंग और 'ई-कल्याण' एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनुमोदन में प्रभावी नियंत्रण की कमी के कारण निर्धारित सीमा से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले पि.व./अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों, **कंडिका 6.12.3** में शामिल विवरण, के 52 पि.व. छात्रों को ₹ 2.94 लाख की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी ***(परिशिष्ट-3.8)***।

इसके उत्तर में (मार्च-अगस्त 2022) दो नमूना जाँचित जिलों (चतरा और गोड्डा) के जि.क.अ. ने उपरोक्त तीन लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जबकि अन्य तीन जिलों (हजारीबाग, पलामू और राँची) के जि.क.अ. से इस संबंध में उत्तर प्रतीक्षित हैं।

➢ लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 'हजारीबाग चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट' को केवल फाउंडेशन और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों के लिए अर्थशास्त्र और प्रबंधन, लागत और प्रबंधन लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, परिचालन प्रबंधन और लागत लेखांकन के

[20] चतरा, गोड्डा, हजारीबाग, पलामू एवं राँची

बुनियादी पाठ्यक्रमों के साथ पंजीकृत किया गया था लेकिन अभिलेख से पता चला कि यह संस्थान 2017-20 के दौरान सात छात्रों (पि.व.: 05 और अ.जा.: 02) के गैर-पंजीकृत पाठ्यक्रम 'इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन' (आईएमबीए) और 'ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस' के आवेदनों को मंजूरी दी और अग्रेषित किया, जिसे आगे जि.क.अ. द्वारा बिना उचित सत्यापन के कार्यवाही किया गया। इस प्रकार इन छात्रों को ₹ 1.81 लाख की राशि का अनियमित भुगतान किया गया।

यह दर्शाता है कि संबंधित आईएनओ/ जि.क.अ. द्वारा अनुमोदन के लिए छात्रवृत्ति के आवेदनों को संसाधित करते समय **कंडिका 3.2** के तहत वर्णित निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था।

इसके उत्तर में जि.क.अ., हजारीबाग (अगस्त 2022) ने कहा कि इस संस्थान को भविष्य में छात्रवृत्ति के वितरण के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

### *3.8.3 छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान*

विभाग के संकल्प (फरवरी 2018) के अनुसार, पोस्ट मैट्रिक संस्थानों से अध्ययन करने वाले सभी पात्र छात्रों (दिवाकालिन और छात्रावासी) को शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ते के लिए पाठ्यक्रमों के वर्गीकरण और स्लैब के अनुसार शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ता का भुगतान किया जाएगा। जैसा कि नीचे **तालिका 3.5** में विस्तृत है:

**तालिका 3.5: निर्धारित स्लैब (शिक्षण शुल्क+रखरखाव भत्ते) राज्य के भीतर पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रमों के लिए**

| पाठ्यक्रम | भा.स.संस्थान | | राज्य संस्थान/ निजी | |
|---|---|---|---|---|
| | छात्रावासी (प्रति वर्ष) | दिवाकालिन (प्रति वर्ष) | छात्रावासी (प्रति वर्ष) | दिवाकालिन (प्रति वर्ष) |
| तकनीकी डिग्री/ मास्टर डिग्री और सामान्य पाठयक्रम के ऊपर | 50,000 | 40,000 | 45,000 | 38,000 |
| स्नातक/ स्नातक पूर्व | 30,000 | 24,000 | 21,000 | 18,000 |
| उपरोक्त के अलावा डिग्री/डिप्लोमा | 25,000 | 20,000 | 17,500 | 15,000 |
| उच्चतर माध्यमिक / आईटीआई आदि | 15,000 | 12,000 | 10,500 | 9,000 |

2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (राज्य के भीतर: 49,310 और राज्य के बाहर: 4,538) के ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि निर्धारित दरों के अनुसार ₹ 72.54 करोड़ की छात्रवृत्ति की देय राशि (**तालिका-3.6** में दी गई निर्धारित दरों के अनुसार), के विरुद्ध ₹ 95.75 करोड़ की छात्रवृत्ति जिला कल्याण अधिकारियों (जि.क.अ.) द्वारा 'ई-कल्याण' पोर्टल के

माध्यम से 53,848 लाभार्थियों को विभिन्न संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए अनुमोदित की गई थी।

**तालिका-3.6 विभिन्न संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाले लाभार्थी**

*(₹ करोड़ में)*

| छात्रवृत्ति का प्रकार | भुगतान की अवधि | लाभार्थियों की संख्या | कुल छात्रवृत्ति का भुगतान | देय कुल छात्रवृत्ति | छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य के भीतर) | 2017-20 | 49310 | 88.48 | 69.76 | 18.72 |
| पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य के बाहर) | 2017-20 | 4538 | 7.27 | 2.78 | 4.49 |
| **कुल** | | **53848** | **95.75** | **72.54** | **23.21** |

आगे, ई-कल्याण के डेटा डंप के विश्लेषण से पता चला कि छः नमूना जाँचित जिलों में 2017-21 के दौरान संस्थानों/पाठ्यक्रमों के गलत वर्गीकरण के कारण 24 संस्थानों में 48239 छात्रों को छात्रवृत्ति की उच्च दर की अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.46 करोड़ छात्रवृत्ति राशि का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने 24 संस्थानों के 48239 में से 11 संस्थानों के 204 मामलों का सत्यापन किया और पाया कि नमूना जाँचित छः जिलों में से चतरा जिले को छोड़कर ***(परिशिष्ट-3.9)*** 195 लाभार्थियों को ₹ 5.74 लाख की छात्रवृत्ति राशि का अधिक भुगतान मिला।

कमजोर नियंत्रण प्रक्रिया के कारण, पोर्टल संस्थान/पाठ्यक्रमों के सही वर्गीकरण की पहचान नहीं कर सका, जिसके कारण लाभार्थियों को अधिक भुगतान किया गया जैसा कि **कंडिका 6.12.3** में दर्शाया गया है।

तीन नमूना जाँचित जिलों (गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग) के जि.क.अ. ने उत्तर में बताया (मार्च-अगस्त 2022) कि अब से छात्रवृत्ति के भुगतान को सीमित करने के लिए अधिकतम पात्र सीमा लागू की जाएगी जबकि अन्य दो जिलों (पलामू और राँची) के जि.क.अ. से उत्तर प्रतीक्षित हैं।

### *3.8.4 गैर-अनुमोदित/काली सूची वाले संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण*

झारखण्ड अ.जा./अ.ज.जा./पि.व. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना विनियम, 2018 के प्रावधान 9 के अनुसार, संस्थानों को संस्थानों के मास्टर डेटाबेस में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा। आगे, प्रावधान 10 के अनुसार, उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति प्रत्येक वर्ष संस्थानों के भौतिक निरीक्षण और उनके द्वारा छात्रवृत्ति के वितरण की अनुमति देने के लिए

पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन द्वारा पोस्ट-मैट्रिक संस्थानों की सूची का अनुमोदन करती है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दो नमूना-जांचित जिलों (चतरा और पूर्वी सिंहभूम) में चार संस्थानों[21] के 180 छात्रों ***(परिशिष्ट-3.10)*** को ₹ 14.78 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, हालाँकि जिला स्तरीय समिति ने इन संस्थानों को 2018-21 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड की पूर्ति न करने के कारण अस्वीकृत/काली सूची में डाल दिया था। इस प्रकार, संबंधित जि.क.अ. द्वारा जिला स्तरीय समिति के निर्णयों का पालन न करने के कारण, अस्वीकृत/ब्लैक लिस्टेड संस्थानों के लाभार्थियों को ₹ 14.78 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई।

जवाब में जि.क.अ., पूर्वी सिंहभूम ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (मार्च 2022) जबकि जि.क.अ., चतरा ने कोई जवाब नहीं दिया।

### *3.8.5 एक ही कक्षा के छात्रों को लगातार दो वर्षों तक छात्रवृत्ति प्रदान करना*

कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के संकल्प (फरवरी 2018) में निहित प्रावधानों के अनुसार, सभी योजनाओं के तहत एक छात्र विशेष को एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति की अनुमति दी जाएगी। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण के लिए पात्र छात्रों की सूची संबंधित विद्यालयों द्वारा तैयार की जानी है और विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा इस आश्वासन के साथ विधिवत प्रमाणित किया जाना है कि केवल पात्र छात्रों के नाम ही सूची में शामिल किए गए हैं। आगे, जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद जि.क.अ. द्वारा छात्रवृत्ति के वितरण की प्रक्रिया के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची ई-कल्याण पोर्टल पर अपलोड की जाती है।

2017-20 की अवधि के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति की राशि वर्ष 2017-20 के दौरान लगातार दो वर्षों में 30,675 विद्यालयों में 2.96 लाख लाभार्थियों[22] को अनियमितताओं (एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पुनरावर्तक छात्र, विभिन्न विद्यालयों में एक ही कक्षा में पुनरावर्तक छात्र) के तहत ₹ 3.16 करोड़ अनियमित रूप से प्रदान किए गए।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि एक ही विद्यालय के रिपीटर्स के 1,93,624 मामलों में से 612 स्कूलों के 5081 छात्रों को 2017-20 के दौरान लगातार दो वर्षों

---

[21] पूर्वी सिंहभूम जिले के मेहर प्राइवेट आईटीआई एवं जमशेदपुर आईटीआई, चतरा जिले के आर एन एम् महाविद्यालय, हंटरगंज एवं सत्यानन्द भोक्ता इंटर महाविद्यालय, उनटा

[22] पुनरावर्तक छात्रों को एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान की गई: 11252 विद्यालयों में 1,93,624 लाभार्थी जिनमें ₹ 205.02 लाख शामिल हैं; पुनरावर्तक छात्रों को अलग-अलग विद्यालय में एक ही कक्षा में छात्रवृति दी गई: 19423 विद्यालयों में 1,02,866 लाभार्थी जिनमें ₹ 110.66 लाख शामिल है

में दसवीं कक्षा के लिए ₹ 95.99 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान किया गया। इसके अलावा, छः नमूना-जाँचित जिलों के 180 स्कूलों के 5081 छात्रों (या तो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण) में से 1798 को अगले शैक्षणिक वर्ष में दसवीं कक्षा के लिए अनियमित रूप से ₹ 32.34 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जैसा कि ई-कल्याण डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला है।

छः नमूना-जाँच जिलों में भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 180 स्कूलों में से 16 नमूना-जाँच में 1798 छात्रों (या तो पास आउट या अनुत्तीर्ण) में से 121 को अनियमित रूप से दसवीं कक्षा के लिए अगले शैक्षणिक सत्र में ₹ 2.01 लाख की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी ***(परिशिष्ट-3.11)***।

यह इंगित करता है कि पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करते समय संबंधित विद्यालयों द्वारा उचित सावधानी नहीं बरती गई थी और छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया के दौरान संबंधित जि.क.अ. द्वारा ठीक से सत्यापित नहीं किया गया था, जो निर्धारित मानदंडों से भिन्न था।

सॉफ्टवेयर में सत्यापन नियंत्रणों की अनुचित मैपिंग के कारण, ई-कल्याण पोर्टल ऐसी अनियमितताओं की जाँच नहीं कर सका जैसा कि **कंडिका 6.12.3** में दर्शाया गया है।

तीन नमूना-जाँचित जिलों (पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा और हजारीबाग) के जि.क.अ. ने उत्तर में कहा (मार्च-अगस्त 2022) कि मामले की जाँच की जाएगी और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जबकि अन्य दो जिलों (पलामू और राँची) के जि.क.अ. के उत्तर प्रतीक्षित हैं।

### *3.8.6 दो योजनाओं से छात्रवृत्ति का अस्वीकार्य संवितरण*

झारखण्ड अ.जा./अ.ज.जा./पि.व. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना विनियम, 2018 के अनुच्छेद 6 (X) और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 11 (XIII और XIV) के अनुसार, एक छात्र सभी उपलब्ध छात्रवृत्ति में से केवल एक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा जो कि एक शैक्षणिक वर्ष में अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अल्पसंख्यक के लिए उपलब्ध है।

छः नमूना-जाँचित जिलों के एनएसपी डेटा के साथ ई-कल्याण डेटा[23] के क्रॉस सत्यापन से पता चला कि 1049 आवेदन[24] (अ.ज.जा. और बी.सी. श्रेणी) ने ₹ 59.67 लाख की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व.) के अलावा 2017-20 के दौरान एनएसपी के माध्यम से ₹ 61.65 लाख अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त की थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जाँचित छः जिलों में से दो (राँची और हजारीबाग) के आठ संस्थानों में 527 लाभार्थियों ने वर्ष 2018-19 में ₹ 28.77 लाख की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त की। इन छात्रों ने उन्हीं संस्थानों से ₹ 26.28 लाख की

---

[23] केवल नमूना जाँचित जिलों का एनएसपी डाटा लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध था।

[24] अ.ज.जा. छात्र: 68 एवं पि.व. छात्र: 981

पोस्ट मैट्रिक पि.व. छात्रवृत्ति भी प्राप्त की थी, जिसका विवरण नीचे **तालिका-3.7** में दिया गया है:

**तालिका-3.7 दोहरी छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले लाभार्थी**

| जिला का नाम | संस्थान का नाम | दोनों योजनाओ से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या | पोस्ट पि.व. छात्रवृत्ति के माध्यम से भुगतान की गई कुल राशि | अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के माध्यम से भुगतान की गई कुल राशि |
|---|---|---|---|---|
| राँची | डोरंडा महाविद्यालय | 49 | 3,68,873 | 2,44,252 |
| | सैंट ज़ेवियर महाविद्यालय | 04 | 84,000 | 24,000 |
| | राँची महिला महाविद्यालय | 19 | 1,57,505 | 95,494 |
| | राँची विश्वविद्यालय | 31 | 2,14,300 | 1,54,645 |
| हजारीबाग | अन्नदा महाविद्यालय | 91 | 3,98,990 | 6,23,790 |
| | के बी महिला महाविद्यालय | 202 | 8,46,990 | 9,95,290 |
| | मार्खम महाविद्यालय ऑफ़ कॉमर्स | 44 | 1,53,279 | 2,30,424 |
| | सैंट कोलंबस महाविद्यालय | 87 | 4,03,675 | 5,08,779 |
| | **कुल** | **527** | **26,27,612** | **28,76,674** |

इससे पता चला कि छात्रवृत्ति के आवेदन आई.एन.ओ. द्वारा आवश्यक सत्यापन के बिना अग्रेषित किए जा रहे थे जो संकल्प के निर्धारित मानदंडों से भिन्न थे। आगे, ई-कल्याण और एनएसपी पोर्टल भी एक दूसरे के साथ एकीकृत नहीं थे जिसके परिणाम स्वरूप पि.व. छात्रवृत्ति के तहत लाभार्थियों को ₹ 26.28 लाख छात्रवृत्तियों का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

जवाब में जि.क.अ., हजारीबाग (अगस्त 2022) ने कहा कि कमियों को अलग करने के लिए पोर्टल में कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है जबकि जि.क.अ., राँची ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

***अनुशंसा:***

***दोनों पोर्टलों (ई-कल्याण और एन.एस.पी.) के एकीकरण के माध्यम से अनियमितताओं/विचलन की जाँच/रोकथाम करके योजना के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए आवेदनों की पात्रता के सत्यापन के साथ-साथ भुगतान के लिए निगरानी और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।***

## *3.9 निगरानी और मूल्यांकन*

कार्यक्रम संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है ताकि नियोजित समय सीमा के भीतर इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा सके। चूँकि सरकारी कार्यक्रमों को लंबी अवधि और विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित किया जाता है, इसलिए एक मजबूत और प्रभावी कार्यक्रम निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली का होना अनिवार्य है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

### 3.9.1 जिला स्तरीय समिति

अ.ज.जा., अ.जा., पि.व. छात्रवृत्ति विनियम 2018 के अनुच्छेद 22 के अनुसार जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन संस्थानों एवं छात्रवृत्ति के अनुमोदन के लिए किया जाना है। यह समिति जिला स्तर पर छात्रवृत्ति योजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत कम से कम 25 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में छात्रवृति का भुगतान होने के बाद समिति उनके भौतिक सत्यापन की व्यवस्था करेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी नमूना जाँचित जिलों में, उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था लेकिन अपर्याप्त निगरानी के परिणामस्वरूप इसका कार्य मुख्य रूप से संस्थानों और छात्रवृत्ति के अनुमोदन तक ही सीमित रहा।

### 3.9.2 प्रभाव मूल्यांकन

प्रभाव मूल्यांकन इस बात का आकलन है, कि जिस हस्तक्षेप का मूल्यांकन किया जा रहा है, वह परिणामों को कैसे प्रभावित करता है, क्या ये प्रभाव अभीष्ट हैं या अनपेक्षित हैं और अपने अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने में कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करता है। प्रभाव के उचित विश्लेषण के लिए इस बात का प्रतितथ्यात्मक होना आवश्यक है कि हस्तक्षेप के अभाव में वे परिणाम क्या होते। प्रभाव मूल्यांकन अक्सर यह निर्धारित करने के लिए एक उत्तरदायित्व उद्देश्य की पूर्ति करता है कि क्या और कितनी अच्छी तरह से एक कार्यक्रम काम करता है और यह निर्धारित करने में भी मदद कर सकता है कि कई विकल्पों में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है।

छात्रवृत्ति योजनाएँ नामांकन बढ़ाने और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के छात्रों के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण उपाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका उद्देश्य उन श्रेणियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है जो प्री और पोस्ट मैट्रिक स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें शिक्षा के मैट्रिक चरण के बाद की प्रगति के बेहतर अवसर के साथ अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाते हैं।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा 2017-21 के दौरान छात्रवृत्ति योजना के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया था, इसलिए विभाग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में योजनाओं की प्रभावशीलता के प्रति अनभिज्ञ था।